19.	पंजाब	58.07 रु० से 60.62 रु०* प्रति दिन (1.7.95)	—वही— (कृषि को छोड़कर)
20.	राजस्थान	44.00 रु० प्रति दिन (19.11.97)	सभी रोजगार के लिए एकल दर
21.	सिक्किम	—शून्य—	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अभी लागू और प्रवर्तित किया जाना है।
22.	तमिलनाडु	22.40 रु० से 79.00 रु० प्रति दिन (1.4.97)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं (जोन के अनुसार)
23.	त्रिपुरा	17.70 रु० से 36.00* रु० प्रति दिन (29.8.96)	—वही—
24.	उत्तर प्रदेश	42.02 रु० से 64.21* रु० प्रति दिन (31.10.96)	—वही—
25.	पश्चिम बंगाल	25.47 रु० से 72.00* रु० प्रति दिन (25.7.96)	—वही—
26.	अण्डमान और निकोबार	37.09 रु० से 40.00 रु० प्रति दिन (15.8.94)	—वही—
27.	चण्डीगढ़	58.06 रु० से 60.15* रु० प्रति दिन (4.11.95)	सभी रोजगारों के लिए एक दर (कृषि को छोड़कर)
28.	दादर और नगर हवेली	35.00 रु० से 40.00 रु० प्रति दिन (18.5.95)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं (जोन के अनुसार)
29.	दमण और दीव	35.00 रु० प्रति दिन (19.5.95)	सभी रोजगार के लिए एकल दर
30.	दिल्ली	74.50 रु० प्रति दिन (15.2.94)	—वही—
31.	लक्षद्वीप	41.46 रु० प्रति दिन (1.1.96)	—वही—
32.	पांडिचेरी	19.25 रु० से 40.20 रु० प्रति दिन (24.7.95)	कृषि कर्मकारों के लिए दरें
II.*	केन्द्रीय सरकार	39.51 रु० से 71.04* रु० प्रति दिन (12.7.94)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं (क्षेत्रों के अनुसार) (कृषि के अलावा)

टिप्पणी: 1. *न्यूनतम मजदूरी के साथ परिवर्ती महंगाई भत्ते का प्रावधान दर्शाता है।

2. कालम (3) के अंतर्गत कोष्ठक में दी गई तिथि अनुसूचित रोजगार में पिछले संशोधन की तिथि है।

Conciliation Reports from Regional Labour Commissioner, Dhanbad

3590. DR. JAGANNATH MISHRA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether a number of conciliation reports received from the Regional Labour Commissioner, Dhanbad are pending in his Ministry;

(b) if so, the details thereof as on October 1, 1997; and

(c) the action taken by the Court for early disposal of these reports/cases?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (c) 1179 conciliation reports were pending upto October, 1997 and out of these 434 had been disposed of upto October, 1997.

As the Central Government Industrail Tribunal-cum-Labour Courts are a quasi-judicial authority, the Government does not interfere with their working However, communications are sent to the Presiding Officers impressing upon them the need to reduce pendency in their Courts.